ई-मेल द्वारा प्राप्त

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक
प्राप्ति सं0 859
पत्रावली सं0 26-1
दि0 31/7/25
उत्तराखण्ड– देहरादून

मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 01.07.2025 को सम्पन्न उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में उपस्थिति–

1. श्री समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री रंजन कुमार मिश्रा, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
3. श्री आर0 मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती राधिका·झा, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री एस0एन0 पाण्डेय, प्रमुख सचिव, राजस्व/कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री हिमांशु खुराना, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्री विनीत कुमार, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. श्री गौरव कुमार, अपर सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तराखण्ड शासन।
9. श्री सत्यप्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक 01 जुलाई, 2025 को मा॰ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की शासी निकाय की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक की कार्यवाही निम्नानुसार है:–

सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मा0 मुख्यमंत्रीजी, मा0 वन मंत्री जी तथा बैठक में उपस्थिति सभी सम्मानित सदस्यों व प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक आरंभ की गई। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक हेतु समय देने के लिये सभी सदस्यों की ओर से मा0 मुख्यमंत्री जी का सहृदय धन्यवाद किया गया।

बैठक आरंभ करते हुए उन्होंने कैम्पा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला तथा समिति को अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य कैम्पा का गठन वर्ष 2010 में सोसायटी के रूप में हुआ था व कैम्पा की गाईडलाईन के अनुसार शासन द्वारा अधिसूचित किया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम (CAF Act), 2016 की अधिसूचना जारी किये जाने के उपरांत भारत सरकार द्वारा राज्य कैम्पा के गठन की अधिसूचना पृथक से जारी की गई। उक्त अधिसूचना के प्रयोजन हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि नियम (CAF Rules), 2018 की अधिसूचना भी जारी जिसके प्रावधान दिनांक 30 सितम्बर, 2018 से पूरे देश में लागू हुए। वर्तमान में कैम्पा की गतिविधियों का संचालन उक्त अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्धारित एजेण्डा अनुसार बैठक की कार्यवाही आरंभ की गई: –

<u>शासी निकाय कार्यसूची</u>–1: कैम्पा गठन की पृष्ठभूमि व संबंधित अधिनियम/नियम आदि

PCCF (HOFF) Uttarakhand
PCCF/CEO UK CAMPA
उत्तराखण्ड कैम्पा
पंजी करण संख्या 849
दिनांक 01/08/2025
पत्रावली सं0
शाखा SO
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी
उत्तराखण्ड कैम्पा

से शासी निकाय का संक्षिप्त परिचयः–

प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा शासी निकाय को CAF Act), 2016 में प्राविधानित शासी निकाय व अन्य समितियों की संरचना सहित शासी निकाय की शक्तियों एवं दायित्वों से सदस्यों का परिचय कराया गया तथा साथ ही CAF Rules, 2018 के नियम 5(2) व 5(3) के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 80% कोर वानिकी गतिविधियों तथा अधिकतम 20% ढांचागत विकास व प्रशिक्षण आदि Permissible गतिविधियों के प्रावधान तथा नियम 5(4) में प्रतिबंधित गतिविधियों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया। सभी उपस्थित सदस्यों को कैम्पा अधिनियम व नियमावली की प्रतियां उपलब्ध कराई गई। शासी निकाय के सदस्य उक्त से अवगत हुए।

इसके उपरांत कैम्पा के तहत किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा को आमंत्रित किया गया।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा बैठक हेतु निर्धारित शेष ऐजेन्डा के अनुसार शासी निकाय को विस्तार पूर्वक, निम्नानुसार अवगत कराया गयाः –

<u>शासी निकाय कार्यसूची</u>–2: कैम्पा का उद्देश्य एवं मुख्य कार्यः–

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा के निम्न मुख्य घटक हैं जिनमें प्रयोक्ताओं ऐजेन्सियों द्वारा वन भूमि हस्तांतरण हेतु अध्यारोपित शर्तों के अनुसार धनराशि जमा कराई जाती है। इनके अंतर्गत की जाने वाली मुख्य गतिविधियों से शासी निकाय के सदस्यों का निम्नानुसार परिचय कराया गयाः–

<u>क्षतिपूरक वनीकरण</u>

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष निर्धारित स्थलों पर क्षतिपूरक वनीकरण व अन्य वृक्षारोपण सम्बन्धी चिन्हित कार्य।

<u>जलागम क्षेत्र उपचार (कैट योजना)</u>

विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं के जलागम क्षेत्र उपचार हेतु स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्य।

<u>अन्य विशिष्ट गतिविधियां–</u>

वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में उल्लिखित अन्य शर्ते जैसे पथ वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति का रोपण आदि।

PCCF (HoFF) Uttarakhand

समेकित वन्यजीव प्रबंधन योजना

वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष वन्यजीव प्रबंधन सम्बन्धी कार्य।

एन.पी.वी. के अन्तर्गत अन्य गतिविधियां

सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन, वृक्षारोपण, अवस्थापना विकास, मृदा एवं जल संरक्षण, वन्यजीव प्रबंधन, वनाग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास, वानिकी अनुसंधान एवं विकास, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण आदि।

अर्जित ब्याज

राज्य कैम्पा प्राधिकरण कार्यालय संबधी व्यय तथा क्षतिपूरक वनीकरण, कैट प्लान व वन्यजीव संबंधी अनिवार्य शर्तो के अनुपालन हेतु बढ़ी हुई दरों की प्रतिपूर्ति आदि।

उक्त के संबंध में शासी निकाय को अवगत कराया गया कि वन भूमि हस्तांतरण की आरंभिक शर्तों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार घटकों में धनराशि जमा कराई जाती है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति जारी की जाती है। उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा इन्हीं स्वीकृतियों के आधार पर वन विभाग की वार्षिक कार्ययोजनाओं में मांग के अनुसार वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर दिनांक 31 दिसंबर तक भारत सरकार को संचालन समिति के अनुमोदन से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती है। भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना की स्वीकृति के आधार पर शासन द्वारा अवमुक्त किये गये बजट के आधार पर प्रभागों को उनकी स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। शासी निकाय उक्त से अवगत हुआ।

शासी निकाय कार्यसूची–3: उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की संरचना, कर्तव्य तथा दायित्व का विवरणः–

बैठक में उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया कि CAF Act, 2016 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखण्ड (कैम्पा) राज्य प्राधिकरण के सुचारू संचालन के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्न समितियां गठित हैं: –

1. शासी निकाय– मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में शासी निकाय गठित है जिसमें मा0 वन मंत्री जी व मुख्य सचिव उत्तराखण्ड सहित कुल 15 सदस्य हैं। प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, शासी निकाय के सदस्य सचिव हैं।
2. संचालन समिति– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में संचालन समिति गठित है, जिसमे कुल 17 सदस्य हैं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, संचालन समिति के सदस्य–सचिव हैं।
3. कार्यकारी समिति– प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति गठित है, जिसमे कुल 21 सदस्य हैं तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा, कार्यकारी समिति के सदस्य–सचिव हैं।

शासी निकाय की संरचना के संबंध में अवगत कराते हुए, शासी निकाय की शक्तियों एवं दायित्वों से भी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया गया।

शासी निकाय कार्यसूची–4: उत्तराखण्ड कैम्पा की विगत 03 वर्षों की उपलब्धियां:–

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा शासी निकाय को उत्तराखण्ड कैम्पा की गत 03 वर्षों की मुख्य उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत रूप में अवगत कराया गया, जिसमें वृक्षारोपण (12288 हे0), ए0एन0आर0 (5533 हे0), वनाग्नि सुरक्षा, लैंटाना उन्मूलन, भवनों/चौकियों का निर्माण, 10 वर्षीय फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन (FLR) व 08 वर्षीय रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट (RDF) योजनाएं आदि गतिविधियों का विस्तार पूर्वक विवरण प्रस्तुत किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा विगत 03 वर्षों की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया: –

1. मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत 245 जल धाराओं का चयन कर उपचार किया जा रहा है जिनमें सारा के अंतर्गत चयनित 12 जलधाराओं का उपचार भी सम्मिलित है। इस हेतु प्रभागों के स्तर पर चयनित जलधाराओं के उपचार के हेतु 03 वर्षीय Detailed Technical Report (DTR) तैयार की गई हैं जिसके आधार पर जलधाराओं के कैचमेंट क्षेत्र में तकनीकी आधार पर विभिन्न वर्षा जल संरक्षण की संरचनाएं निर्मित की जा रही हैं। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा विगत 03 वर्षों में निर्मित संरचनाओं का निम्न विवरण प्रस्तुत किया गया:–

कार्य	2022–23	2023–24	2024–25
जल निकायों का सृजन (संख्या)	559	83	169
जल स्रोतों का पुनरोद्धार (संख्या)	226	06	43
कंटूर ट्रेंच (है०)	1960	1256	633
चाल–खाल (संख्या)	3200	1692	2816
चेकडैम (संख्या)	1900	5282	5805
परकोलेशन पिट्स (सं०)	306	116	1166

शासी निकाय को अवगत कराया गया कि उक्त प्रयासों से कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2022–23 में 14.30 करोड़ लीटर, 2023–24 में 15.24 करोड़ लीटर तथा 2024–25 में 18.52 करोड़ लीटर वर्षा जल संग्रहण की क्षमता विकसित हुई है। उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त कार्यों की प्रशंसा की गई।

इस संबंध में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड द्वारा सारा तथा विशेषकर प्राकृतिक जल स्रोतों पर आधारित ऐसी पेयजल योजनाओं जिनका कैचमेंट वन क्षेत्रों आता है को अधिकाधिक कैम्पा के माध्यम उपचारित कराये जाने के निर्देश दिये गये।

2. वनाग्नि सुरक्षा हेतु कैम्पा के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष धनराशि प्राविधानित कर आवंटित की जाती है। विगत 03 वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत प्रभागों द्वारा वनाग्नि सुरक्षा हेतु

निम्नानुसार धनराशि व्यय की गई: –

वर्ष	व्यय धनराशि
2022–23	रू 5.97 करोड
2023–24	रू 3.40 करोड
2024–25	रू 10.00 करोड

उक्त के अंतर्गत वन पंचायतों में वनाग्नि सुरक्षा हेतु व्यय की गई धनराशि भी सम्मिलित है। वनाग्नि सुरक्षा हेतु ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अग्नि पंक्तियों का रखरखाव, नियंत्रित दाहन, वॉचर तथा वनाग्नि सीजन में किराये के वाहनों की व्यवस्था भी कैम्पा से प्राप्त धनराशि के अंतर्गत की जाती है। विगत तीन वर्षों में वनाग्नि घटनाओं के आंकड़े निम्नानुसार हैं:–

वर्ष	वनाग्नि दुर्घटनाओं की संख्या	प्रभावित क्षेत्रफल (हे0)
2023	773	933.55
2024	1276	1771.60
2025	268	310.95

शासन द्वारा वर्ष 2024–25 में कैम्पा के अंतर्गत ससमय पर धनराशि उपलब्ध कराये गई जिसके फलस्वरूप विभाग द्वारा समय पर वनाग्नि सुरक्षा की तैयारी पूर्ण कर ली गई। इसके प्रभाव स्वरूप, वनाग्नि दुर्घटनाओं की संख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल पर विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2025 के वनाग्नि काल में अपेक्षाकृत कमी आई। शासी निकाय द्वारा उक्त पर संतोष व्यक्त किया गया।

3. उक्त के अतिरिक्त रेंज स्तर तक के ढांचागत विकास हेतु भी कैम्पा प्रयासरत है। विगत 03 वर्षों में निम्नानुसार कुल 107 भवनों का निर्माण कैम्पा के अंतर्गत किया गया है।

2022-23	2023-24	2024-25	योग (संख्या)
24	30	53	107

4. सी प्रकार बुग्यालों के संरक्षण हेतु भी कैम्पा के तहत् विशेष प्रयास किया जा रहा है जिसमें जियो–जूट तकनीक व अन्य माध्यमों से वर्ष 2024–25 में कुल 68 बुग्यालों में संरक्षण कार्य किये गये हैं। विगत 03 वर्षों में बुग्यालों के संरक्षण हेतु व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किया गया:–

वर्ष	व्यय धनराशि (करोड रू0 में)

2022-23	3.16
2023-24	2.96
2024-25	3.01
योग	9.13

शासी निकाय द्वारा उक्त प्रयासों की प्रशंसा की गई।

5. हरेला महोत्सव के दौरान विगत 03 वर्षों में कैम्पा के अंतर्गत रोपित पौधों तथा आयोजित ग्राम/बीट, रेंज व प्रभाग/जिला स्तर पर आयोजित हरेला कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया:-

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	आयोजित गोष्ठियों की संख्या
2021-22	238887	103
2023-24	165190	163
2024-25	167509	477
योग	571586	743

6. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा शासी निकाय को अवगत कराया गया कि कैम्पा के अंतर्गत क्रियान्वित गतिविधियों से ग्रीन एम्प्लॉयमेंट के तौर पर वृहद् पैमाने पर ग्रामीणों हेतु रोजगार का सृजन होता है। विगत 03 वर्षों में निम्नानुसार कुल 139.62 लाख मानव दिवस के बराबर रोजगार का सृजन हुआ।

वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
मानव दिवस (लाख में)	41.76	43.66	54.20

शासी निकाय के सदस्यों द्वारा उक्त पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

<u>शासी निकाय कार्यसूची</u>-5: <u>दिनांक 15.06.2020 को आयोजित उत्तराखण्ड कैम्पा शासी निकाय की</u>

<u>बैठक की अनुपालन आख्या</u>:-

शासी निकाय द्वारा गत दिनांक 15.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या की पुष्टि की गई।

<u>शासी निकाय कार्यसूची</u>-6: <u>विगत 03 वर्षों में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष व्यय प्रगति</u> :-

शासी निकाय के समक्ष गत वर्ष 2024-25 सहित विगत तीन वर्षों में स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के सापेक्ष व्यय प्रगति से निम्नानुसार अवगत कराया गया:-

एपी0ओ0	भारत सरकार	राज्य सरकार	प्रभागों	व्यय	राज्य सरकार द्वारा प्रभागों को

वर्ष	का कुल आकार	द्वारा स्वीकृत ए0पी0ओ0	द्वारा अवमुक्त बजट	को आवंटित बजट	धनराशि	अवमुक्त बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत %	आवंटित बजट के सापेक्ष व्यय प्रतिशत %
2022-23	418.98	320.15	303.24	257.42	226.01	74.53	87.80
2023-24	423.46	383.82	347.95	312.38	237.01	68.12	75.87
2024-25	408.00	369.25	340.64	327.48	302.87	88.91	92.49
योग/औसत	1250.44	1073.22	991.83	897.28	765.89	77.22	85.35

शासी निकाय उक्त से अवगत हुआ तथा सदस्यों द्वारा गत वर्षो की सापेक्ष व्यय में व्यापक सुधार होने पर संतोष व्यक्त किया गया।

शासी निकाय कार्यसूची–7: उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत किये जा रहे नवाचारी कार्यः–

शासी निकाय को कैम्पा के अंतर्गत किये जा रहे निम्न नवाचारी गतिविधियों के संबंध में निम्नानुसार अवगत कराया गया:–

- पारम्परिक वृक्षारोपण तकनीक के स्थान पर सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन (ANR)
- कैम्पा के अंतर्गत संचालित 3 से 10 वर्षीय भावी योजना (Perspective Plan) आधारित RDF (23562 हे0), FLR (50000 हे0), SMC (245 जल–धाराएं) आदि योजनाओं को प्रोजेक्ट मोड में क्रियान्वित किया जाना
- वनाग्नि प्रबंधन एवं सुरक्षा को शीतलाखेत मॉडल पर आधारित कर क्रियान्वित करना
- प्रदेश में विभिन्न केन्द्रीय स्थलों पर 08 मौजूदा पौधशालाओं (टंगसा, कंडारीकोट (गैरसैण), जामू, खिर्सू, संजय चेतना वन, आसारोड़ी, सानदेव तथा सनेह पौधशाला) को उच्चीकृत कर जीरो कॉस्ट नर्सरियों की स्थापना
- वन एवं वन्यजीव अनुसंधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रजातियों का संरक्षण व संवर्धन
- कैम्पा की कार्य संस्कृति में E-office, Digital APO, CAMPA MIS आदि सम्मिलित किये गये।
- क्रियान्वयन अभिकरणों को ससमय धनराशि का आवंटन व Video Conferencing द्वारा नियमित रूप से व्यय प्रगति की समीक्षा
- गुणवत्तापूर्ण आऊटपुट हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी (PMC) चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में।

शासी निकाय के सदस्य उक्त से अवगत हुए।

शासी निकाय कार्यसूची–8–9: शासी निकाय के सदस्यों का अभिमत तथा मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा का मार्ग–निर्देशनः–

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा CAF Act, 2016 के प्रावधानों के तहत् निकाय की शक्तियों एवं दायित्वों का संज्ञान लेते हुए राज्य कैम्पा हेतु भावी नीति निर्धारण हेतु मार्गदर्शन हेतु शासी निकाय से

अनुरोध किया गया। मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कैम्पा के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निम्न निर्देश निर्गत किये गये:—

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण तथा सदस्य सचिव, शासी निकाय द्वारा गत वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना ससमय भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में किये गये प्रयासों के विषय में शासी निकाय को अवगत कराया कि गत वर्ष विशेष प्रयास कर शासन द्वारा भी शीघ्रता से बजट अवमुक्त किया गया जिस कारण विगत वर्षों के सापेक्ष वर्ष 2024—25 में 92% प्रतिशत धनराशि व्यय की जा सकी। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई कि आगामी वर्षों में कैम्पा की अधिक से अधिक धनराशि का उपयोग किया जाय।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा कैम्पा निधि को समुचित व गुणवत्तापूर्ण रूप में व्यय किये जाने हेतु विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाये जाने की अपेक्षा की गई।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा वन विभाग को अन्य विभागों यथा जलागम, पेयजल, ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग आदि को कैम्पा के कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में चिन्हित करतें हुए उनकी विशेषज्ञता के अनुसार योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये।
4. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा संचालन समिति की बैठकों को भी समय से आयोजित करने की अपेक्षा की गई।
5. मा० वन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्देश दिये गये कि कैम्पा की गतिविधियों को ग्रामीणों के रोजगार से जोड़ा जाये एवं वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियों का बढ़ावा दिया जाये। ऐसी प्रणाली विकसित की जाये कि रोपे गये पौधों की जीवितता बढ़े। विभिन्न रोपण क्षेत्रों हेतु जीवितता प्रतिशत के पुराने मानकों को वर्तमान भौगोलिक व बदलती जलवायु के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किया जाये व प्रत्येक 10 वर्ष में जीवितता के मानकों की समीक्षा की जाये।
6. मा० वन मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार ने अपेक्षा की कि वनाग्नि रोकथाम व नियंत्रण हेतु जन सहभागिता के अनुभव का लाभ वृक्षारोपण क्षेत्रों के रखरखाव हेतु भी किया जाये। इसमें स्थानीय समुदायों का सहयोग भी लिया जाये।
7. हाल ही में CAG की रिपोर्ट में कैम्पा के संबंध में उजागर कमियों के निवारण हेतु कठोर प्रयास किये जायें तथा ऐसी व्यवस्था अपनाई जाये जिससे इस प्रकार की परिस्थितियों से तीव्रता से निपटा जा सके। मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि CAG की रिपोर्ट में जो कमियां सामने आई हैं, इस संबंध में यह सुनिश्चित किया जाये कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न होने पाये एवं इस हेतु संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यवाही की जाये। प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय में प्रतिशपथपत्र दाखिल किया गया था, जिसका संज्ञान लेते हुए मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा CAG द्वारा अस्वीकृत व्यय को trivial nature का मानते हुए वाद को आगे न बढ़ाये जाने का निर्णय लेते हुए खारिज किया गया।

8. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों के अंतर्गत जलस्रोतों के संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता पर रखे जाने के निर्देश दिये गये। इसके लिये वन विभाग, जलागम, पेयजल, ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार करें।
9. शहरों को हरा–भरा बनाने के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये। शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टी विकसित किये जाने हेतु प्रस्ताव तैयार किये जायें जिन्हें कैम्पा एवं अन्य वित्तीय योजनाओं से वित्त पोषित किया जाये। जहां आवश्यक हो, वहां अन्य विभागों का सहयोग भी लिया जाये।
10. आगामी हरेला पर्व को व्यापक रूप में मनाया जाये। इसमें अधिकाधिक फलदार पौधों का रोपण किया जाये। इस दौरान एक पेड़ मां के नाम लगाये जाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जाये। हरेला के मौके पर लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा तथा इनकी उत्तरजीविता पर भी विशेष ध्यान दिया जाये।
11. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि वर्तमान में गौरा देवी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रत्येक वन प्रभाग में गौरा देवी स्मृति वाटिकाएं स्थापित की जायें जिनमें अधिक से अधिक फलदार प्रजातियां रोपित की जायें।
12. मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड एवं अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा कैम्पा फण्ड के समुचित उपयोग एवं क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित् करने, समयबद्ध क्रियान्वयन तथा कार्यों की प्रभावशीलता सुनिश्चित् करने हेतु नियमित समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये गये।

अंत में प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन तथा सदस्य सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, मा0 वन मंत्री जी तथा शासी निकाय के सभी उपस्थित सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

Digitally signed by
SATYA PRAKASH SINGH
Date: 30-07-2025
17:35(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वन अनुभाग–2
संख्या-2209/X-2/2025–12(63)/2023 (ई–26301)
देहरादून, दिनांक 30 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।

2–निजी सचिव, मा0 वन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

3–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4–निजी सचिव, प्रमुख वन, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5–प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), उत्तराखण्ड।
6–प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7–प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड।
8–प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
9–प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
10–प्रमुख सचिव, राजस्व/कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
11–अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12–अपर सचिव/निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।
13–अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14–गार्ड फाईल।

Digitally signed by
Hema Pandey
Date: 30-07-2025
17:37:16

(हेमा पाण्डे)
उप सचिव।